न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं.ः— 02 / 2016

उम्मेदसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नगला केसरिया तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1.माया बेबा लाखनसिंह
2. दीपक
3. अशोक
4. ज्योति पुत्र लाखनसिंह

जाति जाट निवासी नगला केसरिया तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली अन्तर्गत ऑर्डर 39 रूल 2A जा0दी0

आदेश

दिनांकः—06.12.2017

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 रूल 2A जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम नगला केसरिया तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 208 / 0.33, 216 / 0.31, 260 / 574 / 0.10 का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी / मदाखलत करते है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा में अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है। उक्त आदेश की तामील अप्रार्थीगण को विधिवत हो चुकी है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की परवाह न कर प्रार्थी को उसकी खातेदारी के रकवा को जोतने / बोने में मदाखलत करते है। जिससे प्रार्थी के खातेदार का रकवा बंजर पड़ा है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2015 की सरेआम अवहेलना कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहे है। जो कि न्यायालय अवमानना की तारीफ में आता है। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय के आदेश की अवमानना अमल में लायी जाकर उनको अदालत के आदेश की अवहेलना में दीवानी जेल खाना भेजने की प्रार्थना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.11.2017 को बहस हेतु उभयपक्षकरान के अभिभाषकगणों को आवाज लगवायी गयी किन्तु अप्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली आदेश में नियत की गयी। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के अभिभाषक की अनापत्ति प्राप्त होन पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी वास्ते तय करने स्टे प्रार्थना पत्र तद्उपरान्त धारा 151 सीपीसी की बहस सुनने व मौका कमिश्नर द्वारा मौका देखे जाने बावत् दिनांक 30.11.2017 को पेश किया। न्यायहित में इस प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अप्रार्थीगण को सुना गया।

हमने उभय पक्षकरान के अभिभाषक द्वारा किये गये बहस पर मनन किया। पत्रावली की अवलोकन किया । यहा यह उल्लेखनीय है कि यहा पर केवल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 रूल 2A जा0दी0 का निस्तारण किया जा रहा है न कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का। यह प्रार्थना पत्र ऑर्डर 39 रूल 2A जा0दी0 न्यायालय में दिनांक 01.01.2016 को प्रार्थी की ओर से पेश हुआ। जिसकी नकल अप्रार्थीगण को दी गई। किन्तु लगभग 2 वर्ष तक इनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 13.07.2015 को न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का वही प्रभाव होता है जो अन्तिम निषेधाज्ञा को होगा। अप्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य से इन्कार नही किया गया है कि उन्होने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को भी इन्कार नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है किः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 39 रूल 2A जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। कि न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2015 की पालना सुनिश्चित की जावें। आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद भी ली जा सकती है।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official